

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक)
राजस्थान, जनपथ, जयपुर-302005



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

क्रमांक:-पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2025-26/
No.....

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)
RAJASTHAN, JANPATH, JAIPUR-302005

दिनांक / DATE :

समस्त प्रधान महालेखाकार/
महालेखाकार (लेखा व हक.)
कार्यालय

विषय:- राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2025 से 53% से 55% की बढ़ोतरी आदेश अन्य राज्यों में पेंशन प्राप्त कर रहे पेंशनर्स को भुगतान कराने हेतु भिजवाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-राजस्थान सरकार वित्त विभाग (रूल्स डिवीज़न) के आदेश संख्या F.12(8)FD(Rules)/2017 दिनांक 01.04.2025

महोदय,

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग के उक्त संदर्भित आदेशों के द्वारा राजस्थान राज्य के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत में दिनांक 01.01.2025 से 53% से 55% की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों / बैंक शाखाओं को प्रसारित कर निर्देशित करने का श्रम करें तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करें। उक्त आदेश राजस्थान सरकार वित्त विभाग की वेबसाइट <http://www.finance.rajasthan.gov.in/> पर भी उपलब्ध है।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

क्रमांक:- पेंशन प्राधि./K-107/आदेश/2025-26/ SRI/TR-17 वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन प्राधिकृति
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:- दिनांक:- 28/5/25

- (1) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- (2) संयुक्त सचिव (वित्त) नियम खंड, शासन सचिवालय, जयपुर।
- (3) अध्यक्ष, भारत पेंशनर्स समाज, पो.बा.न. 3307, जयपुर एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110014
- (4) वरिष्ठ लेखाधिकारी/ए.एम.जी-IV, कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा-I, जयपुर।
- (5) शाखाधिकारी, टी.आई.सेल / टी.एम. अनुभाग।
- (6) गार्ड फाईल प्रति।

सुदामा शर्मा